 ED 326921296 IN ·

AC

SPEED POST/MOST IMMEDIATE

Y-11030/14/2021-EP-III
Ministry of Ayush/ आयुष मंत्रालय
AEP (III) Section / ए.ई.पी.-III अनुभाग

"आयुष भवन"/ **"AYUSH BHAWAN"**
"बी" ब्लाक, जी.पी.ओ. काम्प्लेक्स, / **'B' Block, GPO Complex,**
आई.एन.ए., नईदिल्ली-**110 023/INA, New Delhi-110 023**
दिनांक / **Dated: 19.03.2026**

To,

The Principal Secretary/ Secretary (Health)/Commissioner Ayush of all States/UTs.

Subject: Comprehensive Revised Guidelines for Central Government Nomination (CGN) to MD (Ayurveda/Unani/Siddha and Homoeopathy) Courses for the session 2026-27- reg.

Sir/Ma'am,

I am directed to invite your kind attention to this Ministry's letter F. No. Y-11030/14/2021-EP-III dated 02.05.2024 (copy enclosed) wherein, the comprehensive revised guidelines on the aforementioned subject were issued for the academic session 2024-25.

2. As there is no change in the instructions and guidelines contained in the enclosed CGN- PG guidelines dated 02.05.2024, conveyed by this Ministry's letter F. No. Y 11030/14/2021-EP-III, it is informed that the same shall also be applicable for the current academic session i.e., 2026-27, and shall remain valid for the subsequent years unless modified and amended. Therefore, all relevant date(s)/academic session(s) mentioned in the said letter dated 02.05.2024 may please be read as corresponding date(s)/session(s) of the year 2026 for implementation in its spirit during academic session 2026-27 as per the provisions contained therein.

3. In view of the above, applications of sponsored/in-service Government Teachers/Medical Officers -Doctors/Research Officers may only be forwarded by the deficient State/UT Govts. to this Ministry. **The forwarding letter containing the applications for nomination should be addressed to the Secretary, Ministry of Ayush, and shall reach this Ministry within 45 days from the date of issuance of this letter, except in the case of the North Eastern States. In respect of the North Eastern States, shall reach this Ministry within 60 days from the date of issuance of this letter. Applications received after the closing date are liable to be rejected.**

4. This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,

Digitally signed by Mahendra Kumar Pal
Date: 19-03-2026 09:58:01

Encl: as above.

(Dr Mahendra Kumar Pal)
Deputy Adviser
email: ep3-ayush@gov.in

Copy for information and necessary action to:-

1. The Officer (I/C) of the website of NIC, Ministry of Ayush for its display on the website of this Ministry (www.ayush.gov.in).
2. The Director, Dept of ISM&H/Heath of all the States/UTs.
3. The Director, National Institute of Homoeopathy, Block-GE, Sector-III, Salt Lake, Kolkata-700106, West Bengal.
4. The Director, ITRA, Jamnagar, Gujarat.
5. Vice - Chancellor, National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan.
6. The Director, National Institute of Unani Medicine, Bangalore, Karnataka.
7. The Principal, Govt. Ayurveda, College, Guwahati, Assam.
8. The Principal, Govt. Nizamia Tibbia College, Hyderabad, Telangana
9. The Principal, Govt. Siddha Medical College, Palayamkottai, Tamil Nadu.
10. AACCC, NCISM (aaccc-admn-ayush@gov.in)
11. The Registrars of:
    i. NTR University of Health Sciences, Vijayawada, AP.
    II. Guwahati University, Guwahati, Assam.
    III. Rajiv Gandhi Health Sciences University, Bangalore, Karnataka.
    iv. MGR Medical University, Chennai, Tamil Nadu.
    V. W. B. University of Health Sciences, DD-36, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700064.

SPEED POST/MOST IMMEDIATE

F. No. Y.11030/14/2021-EP-III
Government of India
Ministry of Ayush

'AYUSH BHAWAN',
B-Block, GPO Complex,
INA, New Delhi-110023
Date 2nd May 2024

To,

The Principal Secretary/Secretary (Health)/Commissioner AYUSH of all States/UTs.

Subject: Comprehensive Revised Guidelines for Central Government Nomination (CGN) to MD (Ayurveda/Unani/Siddha and Homoeopathy) Courses for the session 2024-25- reg.

Sir/Ma'am,

I am directed to state that, in order to meet the resurgence of interest in Ayurveda, Siddha, Unani & Homoeopathy (ASU&H) medicines in India & abroad and also in pursuance of the 55th Report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Demand for Grants, few seats in ASU&H PG/MD courses are reserved under 'Central Pool' in few donor institutes of the country for the students/candidates of the States/UTs, where the colleges of the respective system/speciality is not available, for studying Post Graduate (PG) Courses. The same is in implementation through existing PG/MD Scheme Guidelines (A.Y. 2022-23 and 2023-24) bearing F.No.Y.11030/14/2021-EP- III dated 18.10.2022 and 26.07.2023 for Central Government Nomination (CGN).

2. In this regard, I am directed to state that the above mentioned PG Guidelines have been reviewed by this Ministry and it has accordingly been decided that in super session of all previous guidelines on the subject, the following Comprehensive Revised Guidelines for Central Government Nomination (CGN) to MD (Ayurveda/Unani/Siddha and Homoeopathy) Courses shall take effect from the academic session 2024-25.

For the purpose of this Scheme Guidelines, the meaning of the following words is as under:

a. Deficient State/UT – means the State/UT in which, no Government-run college of the respective system/speciality of MD/PG courses for study exists (Government-run medical institute/institution – means institutes/institution run either by State/UT Government or Central Government).
b. Eligible candidates - means nominated candidates belonging to deficient States/UTs, who are employees of any Government-run medical institutions of deficient State/UT, the emoluments of these candidates would be borne during the study period of the course by the concerned sponsoring deficient State/UT Govt. as per their existing rules in this regard and not by any donor institute or by this Ministry. Only sponsored candidates will be eligible.
c. Donor Institutes – means in which institutes seats under 'Central Pool' are reserved for Central Govt. Nomination (CGN) of candidates.

2.5.24

2.1 Eligible candidates i.e. Teachers/Medical Officers (Doctors), Researchers (Research Officers) are to be recommended/nominated by the deficient State/UT Governments for nomination as Central Government Nominees (CGN) for admission in M.D/PG Courses against the seats earmarked under 'Central Pool' by the donor institutes/colleges as Government of India's nominees.

2.2 While making recommendation/nomination against Government of India's Nominees; preference will be given to regular teaching staff with 3 years' regular service of any Government-run medical institution. If no eligible teaching staff with 3 years' regular service of State Government-run medical institution is available for nomination, Medical Officers (M.Os) and Research Officers (R.Os) working on regular basis and have rendered 3 years' regular service in the Government will be nominated as Government of India nominees. However, only one eligible 'Research Officer (R.O)' would be nominated by this Ministry in each stream per year (academic session) for admission in MD/PG Course under this Scheme (i.e Ayurveda, Unani, Siddha and Homoeopathy) against reserved seats under Central Pool.

If neither a Teacher nor a Medical Officer or a Research Officer working in the Government is available for nomination; the vacant seats under 'Central pool' in donor institutions will continue to be filled by All India Ayush Post Graduate Entrance Test (AIAPGET) qualified eligible candidate through All India Quota (AIQ)-PG counselling conducted by Ayush Admission Central Counselling Committee (AACCC). Further, the approved AACCC PG counselling scheme/rules/norms is applicable to the candidates allotted seats through AACCC PG counselling.

2.3 The Government Teachers/Medical Officers (Doctors)/Research Officers shall not be subjected to the above entrance test (AIAPGET).

2.4 No sponsored candidate will be paid any emoluments by the donor institution or by this Ministry during such study period. Payment of any remuneration in this regard is the responsibility/liability of the recommending/sponsoring deficient State/UT Govt. concerned as per their existing rules in this regard. While recommending/sponsoring the nomination of the in-service applicant, the concerned deficient State/U.T. Govt. will have to certify the deficiency in the concerned discipline (speciality) in their State/UT. The concerned deficient State Govt. /UT shall also give an undertaking in this regard and also provide a certificate that the nominated candidate in the event of his/her selection shall be released from his/her duty at the time of commencement of the academic session.

3. Details of donor institutes and seats made available in this Scheme under 'Central Pool' for Central Govt. Nomination(CGN) to MD/PG courses have been listed out is enclosed at **Annexure-I.**

4. In addition to the above, for sponsoring/nominating candidates against the Central Pool, all the deficient State/UT Governments may also follow the below mentioned provisions:-

4.1 All the deficient State/UT Governments are requested to take steps to nominate/ sponsor their eligible candidates in time.

4.2 While nominating/sponsoring the candidates, the deficient State Governments and Union Territory Administrations are required to give priority to the regular teaching staff with 3 years' service in Government- run medical institutions. In case, no teaching staff of Government-run medical institution is available for sponsoring/nominating, Medical Officer and Research Officers working on a regular basis for 3 years in Government may be sponsored/nominated. Further, following points may also be kept in mind while nominating/sponsoring candidates: -

2.5.24

a. The deficient State Governments and the Union Territory Administrations may invariably inform their nominating/sponsoring candidate(s) that once his/her candidature(s) is/are recommended to this Ministry for CG Nomination under 'Central Pool', he/she should not be allowed to withdraw his/her nomination under any circumstances. In case, any nominated candidate (CG Nominee) is still compelled to withdraw his/her nomination for admission as CG Nominee, he/she would be barred for at least 2 years from future nomination as CG Nominee (CGN).
b. Similarly, the deficient State Governments and the Union Territory Administrations may invariably inform their nominating/sponsoring candidate(s) that once the nominated/sponsored candidate is nominated by this Ministry as Central Government Nominee (CGN) at his/her preferred Institute with preferred subject, he/she is not permitted to change his/her nominated institute/subject on personal ground.
c. Further, the nominating/sponsoring deficient State/UT Govts. need to issue required relieving order in time and also to provide required deficiency certificate etc. early in respect of their nominees for Central Govt. Nomination (CGN) against 'Central Pool' to facilitate their admission in time in respective donor institutions. Deficient State/UT Govts. are to nominate/sponsor only the name(s)/candidature(s) of such number of their official(s), whom they would be able to relieve immediately on their final selection/nomination by this Ministry as 'Central Govt. Nominee (CGN)'. Any delaying practice in issuing the relieving order or providing deficiency certificate to Central Gov. Nominees (CGN) would jeopardize the very purpose of this Scheme.

4.3 Applications of sponsored/in-service Government Teachers/Medical Officers-Doctors/Research Officers may only be forwarded by the deficient State/UT Govts. to this Ministry. The forwarding letter **should be addressed to the Secretary, Ministry of Ayush and should reach this Ministry latest by 18th June, 2024 except for North Eastern States. The last date for receiving of application of CG nomination from North Eastern States for the academic year 2024-25 will however be 03rd July, 2024. Applications received after the closing dates are liable to be rejected.**

4.4 Applications of sponsored/in-service Government Teachers/Medical Officers (Doctors)/ Research Officers shall only be scrutinized by this Ministry keeping in view their **seniority (based on the applicants seniority having regular services in Government)**, subject of teaching etc. and also date of birth (D.O.B), if necessary, while nominating them as Government of India's Nominees (CGNs). The Central Govt. reserved seats of MD/PG courses under 'Central Pool' in the donor institutions should be allotted to the Central Government Nominees (CGNs) by the respective donor institute strictly on the basis of the seniority and choice of institute/subject opted by the Central Govt. Nominees (CGN) and also on availability of seat in the institution.

4.5 All the applications of in-service sponsored candidates may be sent simultaneously and not separately in the enclosed proforma **(Annexure-II)** duly filled in within the above stipulated date(s). Incomplete application will be rejected and no further correspondence in this regard shall be entertained.

4.6 It may also be certified by the deficient State/UT Government that the specialties for which the sponsored/nominated candidate has applied for does not exist in any Govt. Institute/College in their State/UT. **It should also invariably be mentioned in the recommendation letter that the approval of State Health Secretary has been obtained in respect of all the sponsored in-service applicants.**

4.7 The Government Teachers/M.O (Doctors)/Research Officers(R.Os) having rendered minimum three(3) years' regular service as on **1st June of concerned academic year** may only be recommended for Central Government Nomination(CGN). While there is no maximum age limit for nominations, it is required to be ensured that only such Government

2.5.24

employees, whether a Teacher or a Medical Officer or a Research Officer, are nominated who shall be able to serve the Government for at least 05(five) years after completion of the MD/PG course under this Scheme.

5. After admission process of sponsored candidates in the CGN quota, the information regarding vacant seats, if any, shall be forwarded to AACCC (aaccc-admn-ayush@gov.in) for further necessary action. AACCC will fill up the remaining vacant seats earmarked for Central Government Nominee (CGN) only after getting the direction of this Ministry. The AACCC, will apply reservation roster on the remaining vacant seats as per central reservation policy/norms.

6. The Medical Colleges/Institutions (donor institutions), mentioned in **Annexure-I,** are required to conform to the requirements of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 and to The National Commission for Homoeopathy Act, 2020, as amended from time to time, and the regulations of the said commissions. The candidate who applies for being nominated/sponsored by deficient State/UT must be informed upfront in writing that his/her actual admission in the college/institution or the course concerned shall depend upon and be subject to the college/institution concerned having received the requisite permission for the MD/PG courses offered for that relevant academic year including this year **2024-25.**

7. The above instructions and guidelines shall remain valid for subsequent academic years unless modified or amended.

8. This issues with the approval of the competent authority

Yours faithfully,

2.5.24

(Shiela Tirkey)
Under Secretary to the Govt. of India
e-mail: ep3-ayush@gov.in

Copy for information & necessary action to:-

1. The Officer (I/C) of the website of NIC, Ministry of Ayush for its display on the website of this Ministry (www.ayush.gov.in).
2. The Director, Dept. of ISM&H/Health of all the States/UTs.
3. The Director, National Institute of Homoeopathy, Block-GE, Sector-III, Salt Lake, Kolkata-700106, West Bengal
4. The Director, ITRA, Jamnagar, Gujarat.
5. Vice - Chancellor, National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan.
6. The Director, National Institute of Unani Medicine, Bangalore, Karnataka.
7. The Principal, Govt. Ayurveda, College, Guwahati, Assam.
8. The Principal, Govt. Nizamia Tibbia College, Hyderabad, Telangana
9. The Principal, Govt. Siddha Medical College, Palayamkottai, Tamil Nadu.
10. AACCC, Ministry of Ayush (aaccc-admn-ayush@gov.in)
11. The Registrars of :

i. NTR University of Health Sciences, Vijayawada, AP.
ii. Guwahati University, Guwahati, Assam.
iii. Rajiv Gandhi Health Sciences University, Bangalore, Karnataka.
iv. MGR Medical University, Chennai, Tamil Nadu.
v. W. B. University of Health Sciences, DD-36, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700064.

(Shiela Tirkey)
Under Secretary to the Govt. of India

Annexure-I

LIST OF DONOR INSTITUIONS AND SEATS MADE AVAILABLE FOR NOMINATION BY CENTRAL GOVERNMENT UNDER 'CENTRAL POOL' FOR MD/PG COURSES

S.No.	Name of the Institutions (donor institutes)	Seats reserved under Central Pool for States/UTs where no MD/PG facilities are available

Ayurveda – 19 Seats

1.	ITRA, Jamnagar.	3 (Three)
2.	National Institute of Ayurveda, Jaipur.	14 (Fourteen)
3.	Govt. Ayurveda College, Guwahati (a) Kayachikitsa (b)Siddhanta/Samhita	 1 (one) 1 (one)

Unani – 7 Seats

4.	Govt. Nizamia Tibbi College, Hyderabad. Advia	3 (three)
5.	National Institute of Unani Medicine, Bangalore	4(four)

Siddha – 3 Seats

6.	Govt. Siddha Medical College, Palayamkottai a. Maruthuvam b. Noinadal c. Kulanthai/Maruthuvam	3 (three)

Homoeopathy – 6 seats (introduced from the session 2014-15)

7.	National Institute of Homoeopathy, Kolkata, West Bengal	6(six)

Total : 35 (thirty five) Seats

Annexure - II

PROFORMA FOR APPLYING FOR NOMINATION TO MD/PG COURSES IN AYURVEDA, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY AS CENTRAL GOVERNMENT NOMINEE (CGN)

{For government teachers/medical officers (doctors) & research officers who have rendered 3 years regular service in any government- run medical institution}

Application to be forwarded by the State/UT Govts.

1.	Name of the applicant (in capital letters only).	
2.	Address, e-mail ID & Telephone No. for communication	
3.	Date of Birth	
4.	Age as on 1st June (of concerned academic year)	
5.	Date of retirement & period of service to be remained after completion of the MD course as CG Nominee.	
6.	Name of College/University from which degree has been obtained along with year of passing	
7.	Overall percentage of marks obtained in Degree course	
8.	Whether Government Teacher/Lecturer or Medical Officer (Doctor) or Research Officer? a. Mention the address of the Govt. Office/Organization b. If teacher/lecturer, then subject of teaching c. Date of joining in Govt. Service (regular service only) d. Place of present posting with full address	
9.	Category – Whether SC/ ST/OBC or General	
10.	Institutions opted by the Candidate (in order of preference, to be treated as final)	
11.	Subjects opted by the Candidate (in order of preference, to be treated as final)	
12.	A Certificate from the State Government to the effect that:- "The nominated candidate would be relieved immediately at the time of commencement of the academic session." (Submission of this certificate in the part of the State Govt. is obligatory).	

Signature of the applicant
With name in capital letters

<u>स्पीड पोस्ट/अति तत्काल</u>

वाई-11030/14/2021-ईपी-III
आयुष मंत्रालय/Ministry of Ayush
ए.ई.पी.-III अनुभाग/AEP (III) Section

"आयुष भवन"/"AYUSH BHAWAN"
"बी" ब्लाक, जी.पी.ओ. काम्प्लेक्स/'B' Block, GPO Complex,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023/INA, New Delhi-110023
दिनांक: 19 मार्च, 2026

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिव/सचिव (स्वास्थ्य)/आयुष आयुक्त।

विषय: सत्र 2026-27 के लिए एमडी (आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध और होम्योपैथी) पाठ्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार के नामांकन (सीजीएन) हेतु व्यापक संशोधित दिशानिर्देशों के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 02.05.2024 के पत्र एफ.सं.वाई-11030/14/2021-ईपी-III (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निर्देश हुआ है; जिसमें उपर्युक्त विषय पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए व्यापक संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

2. चूंकि, दिनांक 02.05.2024 के संलग्न सीजीएन-पीजी दिशानिर्देशों, जिन्हें इस मंत्रालय के पत्र एफ.सं.वाई-11030/14/2021-ईपी-III द्वारा संसूचित किया गया था, में निहित निर्देशों और दिशानिर्देशों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए यह सूचित किया जाता है कि ये दिशानिर्देश ही वर्तमान शैक्षणिक सत्र अर्थात 2026-27 के लिए भी लागू होंगे और इसके बाद के वर्षों के लिए तब तक वैध रहेंगे जब तक कि उनमें संशोधन और आशोधन न किया जाए। इसलिए, दिनांक 02.05.2024 के उपर्युक्त पत्र में उल्लिखित सभी संगत तिथि (तिथियों)/शैक्षणिक सत्र (सत्रों) को कृपया वर्ष 2026 की संबंधित तिथि (तिथियों)/सत्र (सत्रों) के रूप में पढ़ा जाए जिससे कि इसमें निहित प्रावधानों का शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन किया जा सके।

3. उपर्युक्त के मद्देनज़र, अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रायोजित/सेवारत सरकारी शिक्षकों/चिकित्सा अधिकारियों-डॉक्टरों/अनुसंधान अधिकारियों

के आवेदन केवल इस मंत्रालय को ही अग्रेषित किए जाएं। नामांकन हेतु आवेदनों वाले अग्रेषण पत्र को सचिव, आयुष मंत्रालय को संबोधित किया जाए और उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर, यह पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर आवेदन मंत्रालय तक पहुँच जाने चाहिए। उत्तर-पूर्वी राज्यों के संबंध में, यह पत्र जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आवेदन इस मंत्रालय तक पहुँच जाने चाहिए। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

Digitally signed by Mahendra Kumar Pal
Date: 19-03-2026 18:18:01

<u>संलग्नक: यथोक्त</u>

(डॉ. महेन्द्र कुमार पाल)
उप सलाहकार
ई-मेल: ep3-ayush@gov.in

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. प्रभारी अधिकारी, एनआईसी वेबसाइट, आयुष मंत्रालय को इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.ayush.gov.in) पर डालने के लिए।
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आईएसएम एंड एच/स्वास्थ्य विभाग के निदेशक।
3. निदेशक, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, ब्लॉक-जीई, सेक्टर-III, साल्ट लेक, कोलकाता-700106, पश्चिम बंगाल।
4. निदेशक, आईटीआरए, जामनगर, गुजरात।
5. कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राजस्थान।
6. निदेशक, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर, कर्नाटक।
7. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, गुवाहाटी, असम।
8. प्राचार्य, राजकीय निजामिया तिब्बिया कॉलेज, हैदराबाद, तेलंगाना।
9. प्राचार्य, राजकीय सिद्ध मेडिकल कॉलेज, पलायमकोट्टई, तमिलनाडु।
10. एएसीसीसी, काउंसलिंग सेल। (aaccc-admn-ayush@gov.in)
11. रजिस्ट्रार :

i. एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश।
ii. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम।
iii. राजीव गांधी हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी, बंगलौर, कर्नाटक।
iv. एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई, तमिलनाडु।

स्पीड पोस्ट /अति तत्काल

फा.सं.वाई.11030/14/2021.ईपी-III

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

'आयुष भवन', बी-ब्लॉक,
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए,
नई दिल्ली -110023
दिनांक: 2 मई, 2024

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रमुख सचिव/सचिव (स्वास्थ्य)/आयुक्त आयुष।

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए एमडी (आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध एवं होम्योपैथी) पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीय सरकार नामांकन हेतु दिशानिर्देशों के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत और विदेशों में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) चिकित्सा में बढ़ती रुचि को पूरा करने हेतु और विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की अनुदान मांगों पर 55वीं रिपोर्ट के अनुसरण में, एएसयू एंड एच पीजी/एमडी पाठ्यक्रमों के तहत कुछ सीटें देश के कुछ डोनर संस्थानों में 'केंद्रीय पूल' के तहत उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों/अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं जहां पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए संबंधित पद्धति/विशिष्टता के कॉलेज उपलब्ध नहीं हैं। यह केंद्रीय सरकार नामांकन (सीजीएन) से संबंधित फा.सं. वाई.11030/14/2021-ईपी-III दिनांक 18.10.2022 के तहत पीजी/एमडी स्कीम के दिशानिर्देशों (शैक्षणिक सत्र 2022-23 और 2023-24) के माध्यम से कार्यान्वयन में है।

2. इस संबंध में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त पीजी दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है और तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि इस विषय पर पिछले सभी दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए, एमडी (आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध एवं होम्योपैथी) पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीय सरकार नामांकन हेतु निम्नलिखित व्यापक संशोधित दिशानिर्देश शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रभावी होंगे।

इस योजना के दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शब्दों का अभिप्राय इस प्रकार है:-

क. अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - का अभिप्राय ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से है जहां अध्ययन हेतु एमडी/पीजी पाठ्यक्रमों की संबंधित पद्धति/विशिष्टता का सरकार द्वारा संचालित कोई भी कॉलेज मौजूद नहीं है (सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थान/संस्था का अभिप्राय - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थान/संस्था से है)।

ख. पात्र अभ्यर्थी - का अभिप्राय अभावग्रस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे नामांकित अभ्यर्थियों से है जो अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित किन्हीं भी चिकित्सा संस्थानों के कर्मचारी हैं। इन उम्मीदवारों की परिलब्धियां पाठ्यक्रम की अध्ययन अवधि के दौरान संबंधित प्रायोजक अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा इस संबंध में उनके मौजूदा नियमों के अनुसार वहन की जाएंगी, न कि किसी दाता संस्थान या इस मंत्रालय द्वारा। केवल प्रायोजित उम्मीदवार ही पात्र होंगे।

ग. डोनर संस्थान - का अभिप्राय ऐसे संस्थानों से है जिनमें अभ्यर्थियों का केंद्र सरकार के नामांकन (सीजीएन) के लिए 'केंद्रीय पूल' के तहत सीटें आरक्षित हैं।

शीला तिर्की
2.5.24

2.1 पात्र अभ्यर्थी अर्थात ऐसे शिक्षक/चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक), शोधकर्ता (अनुसंधान अधिकारी) जिन्हें एमडी/पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु केंद्रीय सरकार के नामितियों (सीजीएन) के रूप में नामांकन के लिए अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उन सीटों के लिए अनुशंसित/नामांकित किया जाएगा जो डोनर संस्थानों/कॉलेजों द्वारा 'केन्द्रीय पूल' के अंतर्गत भारत सरकार के नामितियों के रूप में निर्धारित की गई हैं।

2.2 भारत सरकार के नामितियों के लिए अनुशंसा/नामांकन करते समय; ऐसे नियमित शिक्षण कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने किसी भी सरकारी चिकित्सा संस्थान में 3 साल की नियमित सेवा की हो। यदि राज्य सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थान की 3 वर्ष की नियमित सेवा वाला कोई भी पात्र शिक्षण स्टाफ नामांकन के लिए उपलब्ध न हो, तो नियमित आधार पर काम कर रहे चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) और अनुसंधान अधिकारियों (आरओ), जिन्होंने सरकार में 3 साल की नियमित सेवा की हो, को भारत सरकार के नामितियों के रूप में नामित किया जाएगा। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय पूल के अंतर्गत आरक्षित सीटों पर इस योजना के अंतर्गत एमडी/पीजी पाठ्यक्रम (अर्थात् आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) में प्रवेश के लिए प्रति वर्ष (शैक्षिक सत्र) प्रत्येक पद्धति में केवल एक पात्र 'अनुसंधान अधिकारी (आरओ)' ही नामित किया जाएगा।

यदि, न तो कोई शिक्षक और न ही कोई चिकित्सा अधिकारी या सरकार में कार्यरत कोई अनुसंधान अधिकारी नामांकन के लिए उपलब्ध हो तो, डोनर संस्थानों में 'केंद्रीय पूल' के तहत खाली सीटें आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति (एएसीसीसी) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू)-पीजी काउंसलिंग के माध्यम से अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (एआईएपीजीईटी) के योग्यताप्राप्त पात्र उम्मीदवार द्वारा भरी जाती रहेंगी। इसके अलावा, अनुमोदित एएसीसीसी पीजी काउंसलिंग योजना/नियम/मानदंड, एएसीसीसी पीजी काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित सीटों वाले अभ्यर्थियों की पर लागू होते हैं।

2.3 सरकारी शिक्षक/चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक)/अनुसंधान अधिकारी उपर्युक्त प्रवेश परीक्षा (एआईएपीजीईटी) के अध्यधीन नहीं होंगे।

2.4 इस अध्ययन अवधि के दौरान किसी भी प्रायोजित उम्मीदवार को डोनर संस्थान या इस मंत्रालय द्वारा किसी भी परिलब्धि का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी पारिश्रमिक का भुगतान करना, अनुशंसा/प्रायोजित करने वाले संबंधित अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की अपने मौजूदा नियमों के अनुसार जिम्मेदारी/दायित्व है। सेवारत आवेदक के नामांकन की सिफारिश/प्रायोजित करते समय संबंधित वंचित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संबंधित विषय (विशिष्टता) के अभाव को प्रमाणित करना होगा। संबंधित अभावग्रस्त राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र इस संबंध में एक वचन पत्र भी देंगे और यह प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे कि नामांकित उम्मीदवार को उसके चयन की स्थिति में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के समय उसके कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।

3. डोनर संस्थानों और एमडी/पीजी पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीय सरकार नामांकन (सीजीएन) हेतु 'केंद्रीय पूल' के तहत इस योजना में उपलब्ध कराई गई सीटों का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय पूल के लिए अभ्यर्थियों को प्रायोजित करने/नामांकित करने के लिए सभी अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें निम्नलिखित प्रावधानों का भी पालन करें:-

4.1 सभी अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध है कि वे अपने पात्र उम्मीदवारों को समय पर नामांकित/प्रायोजित करने के लिए कदम उठाएं।

शीला तिर्की
2.5.24

4.2 अभ्यर्थियों को नामांकित/प्रायोजित करते समय अभावग्रस्त राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थाओं में 3 वर्ष की सेवा वाले नियमित शिक्षण स्टाफ को प्राथमिकता दें। यदि सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थान का कोई शिक्षण स्टाफ प्रायोजित/नामांकित करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो सरकार में 3 वर्ष नियमित आधार पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी और अनुसंधान अधिकारियों को प्रायोजित/नामित किया जा सकता है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को नामांकित/ प्रायोजित करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए:-

क. अभावग्रस्त राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने नामांकित/प्रायोजक उम्मीदवारों को निरपवाद रूप से सूचित करें कि एक बार केन्द्रीय पूल के अंतर्गत केन्द्रीय नामांकन के लिए इस मंत्रालय को उनकी उम्मीदवारी की सिफारिश किए जाने के बाद उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपना नामांकन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर भी, यदि कोई नामित उम्मीदवार (सीजी नॉमिनी) सीजी नॉमिनी के रूप में प्रवेश के लिए अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर है, तो उसे सीजी नॉमिनी (सीजीएन) के रूप में भविष्य के नामांकन से कम से कम 2 साल के लिए रोक दिया जाएगा।

ख. इसी प्रकार, अभावग्रस्त राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन निरपवाद रूप से अपने नामांकित/प्रायोजक उम्मीदवारों को सूचित करें कि एक बार इस मंत्रालय द्वारा नामित/प्रायोजित उम्मीदवार को पसंदीदा विषय के साथ उसके पसंदीदा संस्थान में केंद्र सरकार के नामिती (सीजीएन) के रूप में नामित किए जाने के बाद, उसे व्यक्तिगत आधार पर अपने नामित संस्थान/विषय को बदलने की अनुमति नहीं होगी।

ग. इसके अतिरिक्त, नामित/प्रायोजित करने वाले अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अपेक्षित कार्यमुक्त आदेश समय पर जारी करना और अभाव संबंधी अपेक्षित प्रमाण पत्र आदि प्रदान करना जरूरी है ताकि केंद्रीय पूल के लिए केंद्र सरकार के नामांकन (सीजीएन) हेतु उनके नामितियों के संबंध में जल्द से जल्द संबंधित डोनर संस्थानों में उनके प्रवेश में सुविधा हो। अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें केवल अपने उतने ही अधिकारियों के नाम/उम्मीदवारी को नामित/प्रायोजित करेंगे, जिन्हें वे इस मंत्रालय द्वारा 'केन्द्रीय सरकार के नामिती (सीजीएन)' के रूप में उनके अंतिम चयन/नामांकन पर तत्काल कार्यमुक्त कर सकें। कार्यमुक्त आदेश जारी करने या केंद्र सरकार के नामितियों (सीजीएन) को अभाव संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने में कोई भी देरी इस योजना के उद्देश्य को निष्फल कर देगी।

4.3 प्रायोजित/सेवारत सरकारी शिक्षकों/चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्सकों/अनुसंधान अधिकारियों के आवेदन केवल अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा ही इस मंत्रालय को भेजे जाएं। **अग्रेषण पत्र सचिव, आयुष मंत्रालय को संबोधित किया जाना चाहिए और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर 18 जून, 2024 तक इस मंत्रालय में पहुंच जाना चाहिए। तथापि, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से सीजी नामांकन के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 03 जुलाई, 2024 होगी। अंतिम तिथियों के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

4.4 प्रायोजित/सेवारत सरकारी शिक्षकों/चिकित्सा अधिकारियों (चिकित्सकों)/अनुसंधान अधिकारियों को भारत सरकार के नामितियों (सीजीएन) के रूप में नामित करते समय, **उनकी वरिष्ठता (आवेदकों की सरकारी नियमित सेवाओं में वरिष्ठता के आधार पर)**, शिक्षण के विषय और जन्म तिथि (डीओबी), यदि आवश्यक हो, आदि को ध्यान में रखते हुए उनके आवेदनों की जांच केवल इस मंत्रालय द्वारा ही की जाएगी। डोनर संस्थानों में 'केंद्रीय पूल' के तहत एमडी/पीजी पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीय सरकार की आरक्षित सीटों को, केंद्र सरकार के नामितियों (सीजीएन) द्वारा चुने गए संस्थान/विषय की वरिष्ठता और पसंद के आधार पर और संस्थान में सीट की उपलब्धता के आधार पर संबंधित डोनर संस्थान द्वारा केंद्र सरकार के नामितियों (सीजीएन) को आवंटित किया जाएगा।

शीला तिर्की
2.5.24

4.5 सेवारत प्रायोजित उम्मीदवारों के सभी आवेदन संलग्न प्रपत्र (**संलग्नक-II**) में विधिवत भरकर उपर्युक्त निर्धारित तिथि/तिथियों के भीतर एक साथ भेजे जाएं न कि अलग-अलग। अपूर्ण आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

4.6 अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाए कि प्रायोजित/नामित उम्मीदवार ने जिन विशिष्टताओं के लिए आवेदन किया है, वे उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी सरकारी संस्थान/कॉलेज में मौजूद नहीं हैं। **अनुशंसित पत्र में यह भी अनिवार्य रूप से उल्लेख होना चाहिए कि सभी प्रायोजित सेवारत आवेदकों के संबंध में राज्य स्वास्थ्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।**

4.7 **संबंधित शैक्षणिक वर्ष के 1 जून को** न्यूनतम तीन (3) वर्ष की नियमित सेवा प्रदान करने वाले सरकारी शिक्षकों/चिकित्सा अधिकारियों (चिकित्सकों)/अनुसंधान अधिकारियों (आरओ) को ही केंद्र सरकार के नामांकन (सीजीएन) के लिए अनुशंसित किया जाए। हांलांकि, नामांकन के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, फिर भी यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि केवल ऐसे सरकारी कर्मचारियों, चाहे वे शिक्षक हों या चिकित्सा अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी, को नामित किया जाए जो इस योजना के तहत एमडी/पीजी पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद कम से कम 05 (पांच) वर्षों तक सरकार की सेवा करने में सक्षम होंगे।

5. सीजीएन कोटा में प्रायोजित उम्मीदवारों की प्रवेश प्रक्रिया के बाद, रिक्त सीटों के बारे में जानकारी, यदि कोई हो, आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए एएसीसीसी (aaccc-admn-ayush@gov.in) को अग्रेषित की जाएगी। एएसीसीसी इस मंत्रालय का निर्देश प्राप्त करने के बाद ही केंद्र सरकार के नामिती (सीजीएन) के लिए निर्धारित शेष रिक्त सीटों को भरेगा। एएसीसीसी, केंद्रीय आरक्षण नीति/मानदंडों के अनुसार शेष रिक्त सीटों पर आरक्षण रोस्टर लागू करेगा।

6. **संलग्नक-I** में उल्लिखित मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (डोनर संस्थानों) को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की समय-समय पर संशोधित आवश्यकताओं और उक्त आयोगों के विनियमों के अनुरूप होना आवश्यक है। अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामित/प्रायोजित किए जाने हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए कि कॉलेज/संस्थान या संबंधित पाठ्यक्रम में उसका वास्तविक प्रवेश, इस बात पर निर्भर करेगा और इसके अध्यधीन होगा कि संबंधित कॉलेज/संस्थान ने इस वर्ष 2024-25 सहित उस संगत शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रस्तावित एमडी/पीजी पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर ली है।

7. उपर्युक्त अनुदेश और दिशा-निर्देश बाद के शैक्षणिक वर्षों के लिए तब तक मान्य रहेंगे जब तक कि संशोधित या परिशोधित न किए जाएं।

8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीया,

शीला तिर्की
2.5.24

(शीला तिर्की)
अवर सचिव, भारत सरकार
e-mail: ep3-ayush@gov.in

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. एनआईसी की वेबसाइट के अधिकारी (प्रभारी), आयुष मंत्रालय को इस मंत्रालय की वेबसाइट (**www.ayush.gov.in**) पर इसे प्रदर्शित करने के लिए।
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आईएसएम एंड एच/स्वास्थ्य निदेशालयों के निदेशक।
3. निदेशक, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, ब्लॉक-जीई, सेक्टर-III, साल्ट लेक, कोलकाता-700106, पश्चिम बंगाल।
4. निदेशक, आईटीआरए, जामनगर, गुजरात।
5. कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राजस्थान।
6. निदेशक, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर, कर्नाटक।
7. प्राचार्य, सरकारी आयुर्वेद कॉलेज, गुवाहाटी, असम।
8. प्राचार्य, सरकारी निजामिया तिब्बिया कॉलेज, हैदराबाद, तेलंगाना।
9. प्राचार्य, सरकारी सिद्ध मेडिकल कॉलेज, पलायमकोट्टई, तमिलनाडु।
10. एएसीसीसी, आयुष मंत्रालय (aaccc-admn-ayush@gov.in)
11. निम्नलिखित के रजिस्ट्रार :
    i. एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश।
    ii. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम।
    iii. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर, कर्नाटक।
    iv. एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई, तमिलनाडु।
    v. डब्ल्यू.बी. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, डीडी -36, सेक्टर -1, साल्ट लेक, कोलकाता -700064.

शीला तिर्की
2.5.24

(शीला तिर्की)

अवर सचिव, भारत सरकार

संलग्नक-I

डोनर संस्थानों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 'केंद्रीय पूल' के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामांकन के लिए उपलब्ध कराई गई सीटों की सूची

क्र.सं.	संस्थानों के नाम (डोनर संस्थान)	केन्द्रीय पूल के अंतर्गत उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आरक्षित सीटें जहां एमडी/पीजी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं

आयुर्वेद - 19 सीटें

1.	आईटीआरए, जामनगर	3 (तीन)
2.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर।	14 (चौदह)
3.	सरकारी आयुर्वेद कॉलेज, गुवाहाटी (क) कायाचिकित्सा (ख) सिद्धांत/संहिता	 1 (एक) 1 (एक)

यूनानी - 7 सीटें

4.	सरकारी निजामिया तिब्बी कॉलेज, हैदराबाद। अदविया	3 (तीन)
5.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर	4(चार)

सिद्ध - 3 सीटें

6.	सिद्ध मेडिकल कॉलेज, पलायमकोट्टई क) मारुथुवम ख) नोइनदाल ग) कुलांथाई/मारुथुवम	3 (तीन)

होम्योपैथी - 6 सीटें (सत्र 2014-15 से शुरू किया गया)

7.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	6(छः)

कुल : 35 (पैंतीस) सीटें

संलग्नक- II

आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में एमडी/पीजी पाठ्यक्रमों में केंद्र सरकार के नामिती (सीजीएन) के रूप में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए प्रपत्र

(उन चिकित्सा अधिकारियों (चिकित्सकों) और अनुसंधान अधिकारियों के लिए जिन्होंने किसी भी सरकारी चिकित्सा संस्थान में 3 साल की नियमित सेवा की है)

आवेदन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अग्रेषित किया जाएगा।

1.	आवेदक का नाम (साफ अक्षरों में)	
2.	पत्र-व्यवहार का पता, ई-मेल आईडी और टेलीफोन नंबर	
3.	जन्म तिथि	
4.	1 जून (संबंधित शैक्षणिक वर्ष) को आयु	
5.	सेवानिवृति की तारीख और सीजी नॉमिनी के रूप में एमडी कोर्स पूरा होने के बाद शेष सेवा की अवधि	
6.	विश्वविद्यालय का नाम जहां से डिग्री प्राप्त की गई है और उत्तीर्ण होने का वर्ष	
7.	डिग्री पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत	
8.	क्या सरकारी शिक्षक/व्याख्याता या चिकित्सा अधिकारी (डॉक्टर) या अनुसंधान अधिकारी हैं? क. सरकारी कार्यालय/संगठन के पते का उल्लेख करें ख. यदि शिक्षक/व्याख्याता हैं, तो शिक्षण का विषय बताएं ग. सरकारी सेवा में आने की तिथि (केवल नियमित सेवा) और घ. वर्तमान तैनाती का स्थान और उसका पूरा पता	
9.	श्रेणी -एससी/एसटी/ओबीसी या सामान्य	
10.	उम्मीदवार द्वारा चुने गए संस्थान (वरीयता के क्रम में, जिसे अंतिम माना जाएगा)	
11.	उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय (वरीयता के क्रम में, जिसे अंतिम माना जाएगा)	
12.	राज्य सरकार से इस आशय का प्रमाण पत्र कि:- "नामांकित उम्मीदवार को शैक्षणिक सत्र शुरू होने के समय तुरंत कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।." (राज्य सरकार की ओर से इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य है)।	

आवेदक के हस्ताक्षर
और साफ अक्षरों में नाम